न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिटपुरी बनाम सम्पतराम जाटव

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या 60/2018

निर्णय दिनाँक 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सीटाहेडा की आ॰ख॰न॰ 1429 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन गैरमु॰ मरघट में से 0-01 रकबे पर श्री रविकान्त S/o सम्पतराम ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर विवेश डाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिटपुरी द्वारा दिनाँक 14/2/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रविकान्त S/o सम्पतराम निवासी सीटाहेडा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी रविकान्त उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ॰ख॰न॰ 1429 रकबा 0.20 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमु॰मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरमुमकिन से अतिक्रमी रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 Paise 50 गुणा 14/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी (चौदह रुपये) वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिटपुरी भू॰अ॰निरी॰ टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार

कठूमर, अलवर (राज॰)